



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270246
CG-DL-E-18022026-270246

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 833।

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 833।

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 873(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:—

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 407 तथा 499 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण		
क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सं.	(1)
(2)		(2)
407	383	डिंडीगुल के निकट एनएच-83 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर कोसावापट्टी, सनारपट्टी, गोपालपट्टी, नाथम, समुथिरापट्टी, कोट्टमपट्टी को जोड़ने वाला और तमिलनाडु राज्य में तिरुप्पत्तूर के निकट एनएच-36 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

499	338	मेलूर के निकट एनएच-38 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर तानियामंगलम, जेयान्कोन्डनिलै को जोड़ता है, तिरुप्पत्तूर पिल्लयारपट्टी (ग्रीनफील्ड) के निकट एनएच-36, के साथ ओवरलैप होने वाला और तमिलनाडु राज्य में कराईकुड़ी के निकट एनएच-536 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होते वाला राजमार्ग।
-----	-----	---

[फा. सं. एनएच-14012/10/2024-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पणी:—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं.का.आ. 444(अ), दिनांक 30 जनवरी, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 873(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 407 and 499 entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
407	383	The highway starting from its junction with NH-83 near Dindigul connecting Kosavapatti, Sanarpatti, Gopalpatti, Natham, Samuthirapatti, Kottampatti and terminating at its junction with NH-36 near Tiruppathur in the state of Tamil Nadu.
499	338	The highway starting from its junction with NH-38 near Melur connecting Thaniyamangalam, Jeyankondanilai, overlapping with NH-36 near Tiruppathur, Pillayarpatti (Greenfield) and terminating at its junction with NH-536 near Karaikkudi in the state of Tamil Nadu.

[F. No. NH-14012/10/2024-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:—he Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 444(E), dated 30th January, 2026.